N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT    P.S. (थाना): C.P.S Jaipur    Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0288    Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 12/12/2024 18:02 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 11 |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

   1. Day(दिन): दरमियानी दिन    Date From (दिनांक से): 21/11/2024    Date To (दिनांक तक): 10/12/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर    Time From (समय से): 14:00 बजे    Time To (समय तक): 19:15 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/12/2024    Time (समय): 17:30 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002    Date & Time (दिनांक एवं समय) 12/12/2024 18:02:56 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 180 किमी    Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

      (b)Address(पता): SARKARI QATER HCL B-1, KHETRI NAGAR NEEMKATHANA

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम):    District(State) (जिला (राज्य) ):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ANIL ATRE

(b) Father's Name (पिता का नाम): BANARASIDAS

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1970 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | GAON GUNINECHA, KHETRI, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | B3/158, JANAKPURI, दक्षिण - पूर्व, दिल्ली, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANSHIDHAR YOGI | | पिता:NANAGRAM MAL YOGI | 1. 51,KALWAR ROAD,MANGALM VIHAR GOKULPURA,JHOTWARA,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 2,00,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 2,00,000.00
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 21.11.2024 को परिवादी श्री अनिल अत्री पुत्र श्री बनारसी दास अत्री जाति ब्राहम्ण उम्र 54 साल निवासी बी-3/158 जनकपुरी दिल्ली हाल ग्राम गांव गुणीनीचा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना ने उपस्थित ए. सी.बी मुख्यालय होकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " मैं मेरी ग्राम गुणीनीचा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना लगभग 1000 बीधा जमीन है। जिसमें हम ग्यारह हिस्सेदार है। उक्त जमीन के 11 अलग-2 हिस्से करने बाबत हमारे द्वरा S.D.M. Court khetri में case no. 19/20215 पेश किया गया, जिसमें निर्णय दिनांक 01.10.2024 को हमारे पक्ष में हो गया। जिसकी पालना में डिग्री की पालना करने हेतु S.D.M. Sh. Bansi Dhar Yogi द्वारा तहसीलदार खेतडी को पत्रांक 928 Dated 22.10.2024 जारी कर दिया। उसके बाद S.D.M. श्री Bansi Dhar द्वारा ही तहसीलदार खेतडी को पत्र क्रमांक 371 Dated 18/11/2024 जारी कर उक्त निर्णय की पालना करने से मना कर दिया। इसके बाद मेरे Partner Sh. Rulichand bhargav S.D.M. Sahab से मिले तो S.D.M. श्री Bansi Dhar Yogi द्वारा उक्त निर्णय की पालना करने के लिए 5 (पांच) लाख रूपये को रिश्वत की मांग की, मेरे पार्टनर ने कहा की मैं इतनी बडी राशी रिश्वत नहीं दे सकता पांच लाख के लिए मेरे पार्टनर श्री अनिल अत्री से बात कर सकते है। उक्त सारी बात रूली जी ने फोन पर मुझे बताई और कहा S.D.M. Sahab ने आपको बुलाया है। मे S.D.M. Sh. Bansi Dhar Yogi को पांच लाख रूपये रिश्वत के नहीं देना चाहता हूं, उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, मेरी S.D.M. Sh. Bansi Dhar से कोई रंजिश नहीं है ना ही कोई उधार लेन देन है। कृपया उचित कानूनी कारवाई करने की कृपा करें। 1. संलग्न ड्रीग्री S.D.M. Dated 01-10-2024 2. Dated 22.10.2024 को जारी पत्र की Copy 3. Dated 18.11.2024 को जारी पत्र की Copy प्रार्थी एस.डी अनिल अत्री Father Name Banarsi Dass B-3/158, Janak puri delhi हाल गांव गुणीनीचा तहसील खेतडी [redacted] इसके पश्चात परिवादी श्री अनिल अत्री पुत्र श्री बनारसी दास अत्री जाति ब्राहम्ण उम्र 54 साल निवासी बी-3/158 जनकपुरी दिल्ली हाल ग्राम गांव गुणीनीचा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना से दरियाफ्त किया गया तो परिवादी द्वारा बताया गया एस.डी.एम. कोर्ट खेतडी जिला नीम का थाना में प्रस्तुत मुकदमा नं. 19/2015 जिसमें निर्णय परिवादी के पक्ष में होने के उपरांन्त उक्त निर्णय की पालना करने के लिए एस.डी.एम. श्री बंशीधर योग द्वारा 05 लाख रूपये रिष्वत की मांग की जा रही है। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ एस.डी.एम. कोर्ट खेतडी का निर्णय दिनांक 01.10.2024 की छायाप्रति, दिनांक 22.10.2024 को उक्त निर्णय की पालना करने हेतु एसडीएम खेतडी की तरफ से तहसीलदार खेतडी को जारी पत्र दिनांक 22.10.2024 की छायाप्रति तथा दिनांक 18.11.2024 को पुनः एस.डी.एम. खेतडी द्वारा तहसीलदार खेतडी उक्त निर्णय की पालना नहीं करने के संबंध में जारी पत्र की छायाप्रति पेश की है जो शामिल फाईल की गई है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत देन लेन का पाया गया। अतः रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्क है। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में पदस्थापित श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. को बुलाया तथा परिवादी श्री अनिल अत्री व श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. का आपस में परिचय करवाया। अपने पास से एक डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर उसमें नया खाली मैमोरी कार्ड लगाकर, परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. को सुपुर्द किया गया। इसके बाद श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. को हिदायत की गई कि परिवादी श्री अनिल अत्री जब भी संदिग्ध से वार्ता करने जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करे तथा परिवादी व संदिग्ध के मध्य होने वाले वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे, बाद सत्यापन की कार्यवाही के वापस मेरे समक्ष उपस्थित होवें। इसके बाद परिवादी ने बताया कि एस.डी.एम. श्री बंशीधर योगी आज दिनांक 21.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक अवकाश पर है वो दिनांक 25.11.2024 को कार्यालय में उपस्थित होने तब ही बात होगी। इस पर श्री राजेन्द्र सिंह हेड कानि. को हिदायत की गई कि वो दिनांक 25.11.2024 को परिवादी श्री अनिल अत्री से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करें। इसके बाद परिवादी श्री अनिल अत्री को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखषत किया गया। इसके बाद दिनांक 25.11.2024 को समय 11.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. ने जरिये टेलीफोन बताया कि एस. डी.एम. साहब से परिवादी द्वारा वार्ता करने के लिए समय चाहा जिस पर एस.डी.एम. साहब ने आज शाम को समय 6.30 पी.एम. पर अपने सरकारी आवास पर बुलाया है। इसके बाद परिवादी ने बताया कि एस.डी.एम. साहब को कुछ राशि

एडवांस में देनी पडेगी नहीं तो वो विश्वास नहीं करेंगें तो मै 01 लाख रूपये जेब में रखकर ले जाउंगा और वो लेगें तो दे दूंगा। इस पर श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. को अग्रिम कार्यवाही करने की मुनासिब हिदायत दी गई। इसके बाद समय 08.30 पी. एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. ने जरिये टेलीफोन बताया कि मैने समय 0610 पी. एम. के आसपास रिकॉर्डर ऑन करने परिवादी को दे दिया था, परिवादी ने इसके बाद अपने पार्टनर श्री रूलीचंद को बुलाया तथा स्वयं की गाडी से एस.डी.एम निवास पर गये, मैं परिवादी की गाडी में बैठा रहा लगभग एक सवा घण्टे के उसका साथी श्री रूलीचंद व एस.डी.एम. वार्ता करते हुये एस.डी.एम. निवास परिसर में आये जो मुझे दिखाई दे रहे थे, तीनो आपस में वार्ता कर रहे थे। इसके बाद एस.डी.एम. परिवादी व उसके साथी श्री रूलीचंद को गेट तक छोडने के बाद वापस आवास के अन्दर चले गये तथा परिवादी ने गाडी के पास आकर रिकार्डर मुझे दिया जिसको मेरे द्वारा बन्द किया गया। इसके बाद परिवादी द्वारा अपने पार्टनर श्री रूलीचंद को घर छोडने के मुझे बताया कि मेरे एस.डी.एम. साहब से बात हो गई हे जिन्होने मेरा काम करने के लिए पहले तो 05 लाख रूपये की मांग की, मैनें कम करने की प्रार्थना की तो तीन लाख रूपये के लिए सहमत हो गये और मेरा काम करने की एवज में 01 लाख रूपये रिश्वत के मुझ से एडवांस में ले लिये है तथा शेष 02 लाख रूपये काम होने के पश्चात लेगें। एडवांस के 01 लाख रूपये मेरे पार्टनर श्री रूडमल के पास रखवा दिये है। परिवादी द्वारा एस.डी.एम. को दिये गये 01 लाख रूपये के नोटो के नम्बरों की मेरे द्वारा मेरे मोबाइल से फोटो ले ली गई है, जो मैं कार्यालय में आकर कम्पयूटर से प्रिन्ट आउट करके आपको पेश कर दूगां। इसके बाद श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री अनिल अत्री से वार्ता करवाई जिसने भी श्री राजेन्द्र सिंह के कथनों की ताईद की। इसके बाद श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. को परिवादी व रिकार्डर को लेकर मुख्यालय आने के निर्देश दिये। इसके पष्चात परिवादी द्वारा प्रार्थना की गई उसे 1-2 दिन जरूरी काम है वो काम करके मुख्यालय आ जायेगा। इस पर श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. को मुख्यालय आने की हिदायत की गई। इसके पश्चात दिनांक 26.11.2024 को समय 2.00 पी.एम. पर श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. उपस्थित कार्यालय आया है जिसने डिजिटल वाईस रिकार्डर व 01 लाख रूपये के नोटों के नम्बरों की फोटो पेश कर बताया कि दिनांक 25.11.2024 में जयपुर से रिकार्डर लेकर खेतडी पहुंचा, जहां पर परिवादी पूर्व से मौजूद मिला, जिसने एस.डी.एम. श्री बंशीधर योगी से वार्ता का समय चाहा तो एस.डी.एम. श्री बंशीधर योगी द्वारा कल शाम को समय 6.30 बजे बजे अपने निवास सरकारी आवास पर बुलाया। इसके बाद शाम को 6.10 पी.एम. परिवादी को रिकार्डर ऑन करके सुपुर्द किया और परिवादी की कार से उसके साथी श्री रूलीचंद भार्गव के साथ एस.डी.एम. साहब के निवास स्थान पर गये, मैं परिवादी की गाडी में एस.डी.एम. के निवास के बाहर बैठा रहा परिवादी व उसके साथ श्री रूलीचंद को एस.डी.एम. श्री बंशीधर योगी से वार्ता करने के लिए रवाना किया, लगभग एक सवा घण्टे के बाद परिवादी, उसका साथी श्री रूलीचंद व एस.डी.एम. वार्ता करते हुये एस.डी.एम. निवास परिसर में आये जो मुझे दिखाई दे रहे थे, तीनो आपस में वार्ता कर रहे थे। इसके बाद एस.डी. एम. परिवादी व उसके साथी श्री रूलीचंद को गेट तक छोडने के बाद आवास के अन्दर चले गये तथा परिवादी ने गाडी के पास आकर रिकार्डर मुझे दिया जिसको मेरे द्वारा बन्द किया गया। इसके बाद परिवादी के साथी श्री रूलीचंद को खेतडी में उनके निवास स्थान पर छोडने के बाद परिवादी ने बताया कि मेरी एस.डी.एम. साहब से वार्ता हो चुकी है तथा उन्होने पहले 05 लाख रिश्वत के मांगें थे फिर मेरे निवेदन करने पर 03 लाख रूपये रिश्वत के लेने के लिए सहमत हुये तथा 01 लाख रूपये रिश्वत के लेने के लिए सहमत होते हुये मेरे साथी श्री रूलीचंद को देने के लिए कहा है। उक्त सारी बाते रिकार्डर में रिकार्ड हो गई हे। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिकार्डर को ऑन करके सुना गया, जिससे परिवादी व श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. के कथनों की ताईद होती है। डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता की आईन्दा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जावेगी। डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षार्थ आलमारी में रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी एस.डी.एम. श्री बंशीधर द्वारा परिवादी श्री अनील अत्रि की जमीन की डिग्री जाने करने की एवज में 05 लाख रूपये की मांग की गई। दिनांक 25.11.2024 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के समय 05 लाख रूपये रिश्वत की वार्ता की गई तथा परिवादी श्री अनिल अत्रि द्वारा निवेदन करने पर 03 लाख रूपये रिश्वत लेने के लिए सहमत हुआ एवं 01 लाख रूपये परिवादी से रिश्वत के एडवांस प्राप्त कर श्री रूलीचंद के पास रखवाये तथा शेष 02 लाख रूपये परिवादी के पेण्डिग कार्य को करने के उपरान्त लेने के लिए सहमत हुआ है। उक्त कार्यवाही में रिष्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण हुई, आरोपी द्वारा परिवादी का पेण्डिंग कार्य पूर्ण करने के लिए उपरान्त शेष रिश्वत राषि 02 लाख रूपये की मांग करने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात दिनांक 03.12.2024 समय 11.28 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादी श्री अनिल अत्रि ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से वाट्सअप मैसेज किया है। जिसमें एक लेटर एसडीएम खेतडी द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2024/1012 दिनांक 02.12.2024 का तहसीलदार (भू.अ.) खेतडी को जारी किया हुआ है। जिसमें दिनांक 01.10.2024 को किये गये निर्णय की पालना कर, पालना रिपोर्ट भिजवाने के सम्बंध में जारी किया हुआ है। इसके साथ ही एक सफेद कागज पर अग्रेजी में Bon China Crocary Ten /Cofee Set हस्तलिखित में लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। दोनों मैसेज का प्रिन्ट आउट लेकर शामिल कार्यवाही किया गया। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादी श्री अनिल अत्रि ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से वाट्सअप कॉल करके बताया कि उसके पार्टनर श्री रूडीराम ने उसे बताया

है कि एसडीएम श्री बंशीधर द्वारा रिश्वत राशि के साथ साथ बॉन चाईना कम्पनी का डिनर सेट भी मंगवाया है। साथ ही ये भी बताया कि तहसीलदार को दिनांक 02.12.2024 को जारी लेटर की फोटो तथा डिनर सेट की हस्तलिखित पर्ची एसडीएम ने भिजवाई है तथा दिनांक 03.12.2024 को परिवादी व आरोपी श्री बंशीधर योगी के मध्य वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता जिसको परिवादी द्वारा अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन करके दूसरे मोबाईल से रिकॉर्डर कर भिजवाई गई है। जिसको सूना गया तो एसडीएम श्री बंशीधर योगी द्वारा परिवादी से बतौर रिश्वत राशि के अलावा एक डिनर सेट एवं एक कॉपी सेट बॉन चाईना कम्पनी का दिल्ली से मंगवाया है। उक्त वार्ता का आईन्दा वार्ता रूपान्तरण स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में तैयार करवाया जावेगा। दिनांक 04.12.2024/ समय 02.54 पी.एम. मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादी श्री अनिल अत्रि ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से जरिये वाट्सअप एक पत्र की फोटे प्रेषित की है जिसमें एसडीएम खेतडी द्वारा दिनांक 02.12.2024 को जारी किये गये पत्र के उपर ही तहसीलदार खेतडी द्वारा नायब तहसीलदार बबाई जिला नीमकाथाना को दिनांक 04.12.2024 को हस्तलेख से लिखा है कि मूल ही भेजकर लेख है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी खेतडी से प्राप्त आदेश की पालना बाबत लिखा हुआ है। जिसके सम्बंध में परिवादी द्वारा वाट्सअप कॉल करके भी बताया है कि तहसीलदार खेतडी द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी खेतडी के आदेश की पालना में पत्र जारी कर दिया है। जिसकी फोटो मुझे एसडीएम खेतडी द्वारा भेजी गई है। उक्त पत्र का प्रिन्ट आउट निकलवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। दिनांक 07.12.2024 को समय 08.04 पी.एम. मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादी श्री अनिल अत्रि ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से जरिये वाट्सअप कॉल करके बताया कि मैने एसडीएम श्री बंशीधर योगी को उसके द्वारा चाहे गये कॉपी/डिनर सेट को पसन्द करने की ऐवज में विडियो कॉल किया था इस पर एसडीएम ने जो कॉपी/डिनर सेट पसन्द किया है उसकी फोटो व उसके बिल की फोटो आप को मै भेज रहा हू। उक्त कॉपी/डिनर सेट एवं बिल की फोटे प्रति का प्रिन्ट आउट निकलवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। दिनांक 09.12.2024 को समय 05.41 पी.एम.मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादी श्री अनिल अत्रि ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से जरिये वाट्सअप कॉल करके बताया कि एसडीएम ने मुझे सोमवार दिनांक 09.12.2024 को बुलवाया था परन्तु मै निजी कारण वष नहीं आया और मै कल दिनांक 10.12.2024 को एसडीएम साहब से उनके निवास पर रिश्वत राशि व कॉफी/डिनर सेट देने जाउंगा मै जयपुर एसीबी कार्यालय आने में असमर्थ हू तो कृपया आप अपनी टीम के साथ मेरे फार्म हाउस गुणीनीचा, तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना आने की कृपा करे। दिनांक 10.12.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद समय 05.51 पी.एम. पर समय ट्रेप कार्यवाही हेतु जरिये पत्रांक 1330 दिनांक 09.12.2024 की पालना में अग्निशमन विभाग, नगर निगम हेरिटेज, जयपुर से दो स्वतंत्र गवाह श्री राधेश्याम पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा, उम्र 29 साल, निवासी-ग्राम पोस्ट मानोता, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल फायरमैन, कार्यालय अग्निसमन केन्द्र नगर निगम हेरटिज, जयपुर व श्री वेदप्रकाश मीना पुत्र श्री धांधुराम मीना, उम्र 32 साल, जाति मीना, निवासी- घुमना, तहसील सिकराय जिला दौसा हाल फायरमैन, कार्यालय अग्निसमन केन्द्र नगर निगम हेरटिज, जयपुर उपस्थित कार्यालय आये है। जिनको दिनांक 10.12.2024 को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय में समय 0930 ए.एम. पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया। इसके साथ ही कार्यालय के श्री राजेन्द्र सिंह हैडकानि 130 व कानि0 श्री रूपकिषोर नम्बर 74 को दिनांक 10 12.2024 को परिवादी से सम्पर्क करने एवं परिवादी के फार्म हाउस गुणीनीचा खेतडी पहुचने हिदायत की गई। दिनांक 10.12.2024/ समय 11.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय श्री गजानन्द, उ.नि., श्री राजकुमार सउनि,, श्री पिन्टू मीणा हैड कानि. नं. 34, श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री हरकेश कानि. नं. 69, श्री महेश कानि 193, श्रीमती राजू देवी म.कानि. नं. 42 , श्रीमति शर्मिला महला कानि 96 मय स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम व श्री वेदप्रकाश मीना मय ट्रेप बाक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय दो सरकारी वाहन चालक श्री इन्द्रपाल कानि. 618 व श्री राकेश कानि 606 के गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर समय 03.45 पी. एम. पर परिवादी के फार्म हाउस गुणीनीचा, खेतडी पहुंचे। जहां पर श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. व श्री रूपकिशोर कानि. पूर्व से मौजूद मिले। इसके बाद समय 03.50 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री राधेश्याम पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा, उम्र 29 साल, निवासी-ग्राम पोस्ट मानोता, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल फायरमैन, कार्यालय अग्निसमन केन्द्र नगर निगम हेरटिज, जयपुर व श्री वेदप्रकाश मीना पुत्र श्री धांधुराम मीना, उम्र 32 साल, जाति मीना, निवासी- घुमना, तहसील सिकराय जिला दौसा हाल फायरमैन, कार्यालय अग्निसमन केन्द्र नगर निगम हेरटिज, जयपुर का परिवादी श्री अनिल अत्रि से परिचय करवाया गया। परिवादी का प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाया गया, दोनों गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति दी। इसके बाद समय 04.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अनिल अत्रि को संदिग्ध श्री बंशीधर योगी, उप खण्ड अधिकारी, उपखण्ड खेतडी जिला नीमकाथाना को रिश्वत में दिये जाने वाली रिश्वती राशि 02 लाख रूपये पेश करने बाबत कहा गया तो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 400 नोट कुल 2,00,000/- रूपये निकाल कर पेश किये एवं आरोपी श्री बंशीधर योगी, उप खण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना

द्वारा रिष्वत में परिवादी से मंगवाये गये एक चाय का कप सेट रंग ग्रीन फुल दार डिब्बा है जिस पर अग्रेजी में CLAY CRAFT FINE TABLE WARE Cup Saucer Sat 66 PCS Premiun Fift Set लिखा हुआ है। इसक अलावा एक खाना खाने का डिनर सेट रंग खाकी के कार्टुन में बंद है जिस पर अंग्रेजी में ROXX Luxuria लिखा हुआ है व एक बील इनवाईस नम्बर 527 दिनांक 05.12.2024 राशि 12644 का पेश किया। उक्त बिल पर परिवादी एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा पेश किये काफी एवं डिनर सेट के कवर पर परिवादी एवं गवाहान के लघु हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी द्वारा पेश किये गये नोटो का विवरण फर्द पेशकशी नोट में अंकित किया गया। उक्त नोटों के नम्बर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उसके बाद श्रीमति शर्मिला महिला कानि. नम्बर 96 से ट्रेप बाक्स से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त नम्बरी नोटों कुल 2,00,000/- रूपये को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमति शर्मिला महिला कानि. नम्बर 96 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद परिवादी श्री अनिल अत्रि की जामा तलाशी गवाह श्री वेदप्रकाष मीना से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/ वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटो को कॉफी सेट के डिब्बे के अन्दर रखकर, बंद कर डिब्बे पर भी हल्का हल्का फिनोफ्थलीन पॉउडर श्रीमति शर्मिला महिला कानि. नम्बर 96 से लगवाया जाकर दोनों सेट मय रिश्वत राशि को श्रीमति शर्मिला महिला कानि. नम्बर 96 से सीधे ही परिवादी की गाड़ी में रखवाये गये। श्रीमति शर्मिला महिला कानि. नम्बर 96 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी ट्रेप बॉक्स के अलावा फार्म हाउस में अलग स्थान पर रखवायी गयी। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें ट्रेप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर साफ पानी से भरे कांच के गिलास मे डलवाकर घोल तैयार करवाया ,जो रंगहीन रहा, जिसको सभी को दिखाया गया। इसके पश्चात उक्त घोल में श्रीमति शर्मिला महिला कानि. नम्बर 96 की फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री अनिल अत्रि व गवाहान को दिखाकर समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटां एवं गिफ्ट सेट को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि व रिश्वत में गिफ्ट प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर नोटों को रखकर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अनिल अत्रि को हिदायत दी गयी कि वह आरोपी द्वारा रिश्वत एवं गिफ्ट मांगे जाने पर कॉफी सेट से निकालकर आरोपी को देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाइल नं. [redacted] पर अपने मोबाइल से मिसकॉल कर गोपनीय ईशारा करें। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत की गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के पहले व पश्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवश्यक हो तो हाथ जोडकर नमस्कार करें। परिवादी को यह भी हिदायत की गई कि वह यह भी ध्यान रखें कि संदिग्ध कौन से हाथ से पैसे व गिफ्ट ले रहा है और वह राशि को गिनता है या नहीं तथा लेने के बाद रिश्वत राशि व गिफ्ट को कहां पर रखता है। तत्पश्चात श्रीमति शर्मिला महिला कानि. नम्बर 96 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं टैªप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा टैªप बाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। श्रीमति शर्मिला महिला कानि. नम्बर 96 को परिवादी के फार्म हाउस गुणीनीचा पर छोडा गया। परिवादी श्री अनिल अत्रि को रिश्वत राशि लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय के सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर, चलाने व बन्द करने की विधि समझाई गई तथा टेप रिकार्डर श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. नं.130 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि संदिग्ध आरोपी को रिश्वत देने के लिए परिवादी के जाने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालूकर परिवादी को देना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। इसके पश्चात समय 6.00 पी.एम पर श्री अनिल अत्रि के फार्म हाउस गुणीनीचा, खेतडी से परिवादी श्री अनिल अत्रि व श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. नं. 130 को परिवादी के वाहन एवं मन् पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय श्री गजानन्द, उ.नि., श्री राजकुमार सउनि, श्री पिन्टू मीणा हैड कानि. नं. 34, श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री हरकेश कानि. नं. 69, श्री महेश कानि. 193 श्रीमती राजू देवी म.कानि. नं. 42, श्री रूपकिशोर कानि. नं. 74, मय स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम व श्री वेदप्रकाश मीना मय ट्रेप बाक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय दो सरकारी वाहन व मय चालक श्री इन्द्रपाल कानि 618 व श्री राकेश कानि 606 व परिवादी का प्राईवेट वाहन मय चालक

आरोपी श्री बंशीधर योगी हाल उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला नीमकाथाना के निवास के लिए रवाना हुऐ। इसके पश्चात 07.00 पी.एम. परिवादी श्री अनिल अत्रि के फार्म हाउस गुणीनीचा, खेतडी से परिवादी श्री अनिल अत्रि व श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. नं. 130 को परिवादी के वाहन एवं मन् पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय श्री गजानन्द, उ.नि., श्री राजकुमार सउनि, श्री पिन्टू मीणा हैड कानि. नं. 34, श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री हरकेश कानि. नं. 69, श्री महेश कानि. 193, श्री रूपकिशोर कानि. नं. 74, श्रीमती राजू देवी म.कानि. नं. 42, मय स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम व श्री वेदप्रकाश मीना मय ट्रेप बाक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय दो सरकारी वाहन व मय चालक श्री इन्द्रपाल कानि 618 व श्री राकेश कानि 606 व परिवादी का प्राईवेट वाहन मय चालक के परिवादी के फार्म हाउस से रवाना होकर आरोपी श्री बंशीधर योगी हाल उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला नीमकाथाना के निवास के आस-पास पहुंचे और वाहनों को साईड में खडा करवाया व ट्रेप जाल बिछाया गया। इसके बाद परिवादी श्री अनिल अत्रि व श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि.नं. 130 को आरोपी श्री बंशीधर योगी को रिश्वत राशि व गिफ्ट देने हेतु रवाना किया गया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय टीम मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकीम रहे। इसके बाद समय समय 07.15 पी.एम. पर परिवादी अनिल अत्री पुत्र श्री बन्नारसीदास जाति ब्राह्मण उम्र 54 साल निवासी-बी-3/158, जनकपुरी, दिल्ली हाल गांव गुणीनीचा तहसील खेतडी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अपने मोबाइल नं. [redacted] से मेरे मोबाइल नं. [redacted] पर नियत मिस कॉल कर ईशारा किया। जिस मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री गजानन्द, उ.नि., श्री राजकुमार सउनि, श्री पिन्टू मीणा हैड कानि. नं 34, श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री हरकेश कानि. नं. 69, श्री महेश कानि 193, श्रीमती राजू देवी म.कानि. नं. 42 , श्री रूपकिशोर कानि. न. 74 मय स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम व श्री वेदप्रकाश मीना मय ट्रेप बाक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय दो सरकारी वाहन चालक श्री इन्द्रपाल कानि. 618 व श्री राकेश कानि 606 के सरकारी क्वार्टर एचसीएल बी-1 खेतडी नगर नीमकाथाना पहुंचा, ट्रेप बॉक्स से केमरा निकलवाया जाकर विडियो रिकॉर्डिंग कानि श्री विरेन्द्र कुमार 212 से चालू करवाकर प्रवेश किया। जहां परिवादी श्री अनिल अत्रि मौजूद मिला, जहां पर श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि 130 द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर बंद किया जाकर अपने पास सुरक्षित हालात में रखा। इसके बाद परिवादी ने पास बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री बंशीधर योगी उपखण्ड अधिकारी खेतडी है, जिन्होने अभी अभी मेरे से मेरी जमीन की डिग्री जारी करने की ऐवज में दिनांक 21.11.2024 को 05 लाख रूपये की मांग की गई थी। जिसके क्रम में दिनांक 25.11.2024 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के समय 05 लाख रूपये रिश्वत की वार्ता की गई तथा मेरे द्वारा निवेदन करने पर 03 लाख रूपये रिश्वत लेने के लिए सहमत हुआ एवं 01 लाख रूपये मेरे से रिश्वत के एडवांस प्राप्त कर श्री रूलीचंद के पास रखवाये तथा शेष 02 लाख रूपये परिवादी के पेण्डिंग कार्य को करने के उपरान्त लेने के लिए सहमत हुआ एवं दिनांक 03.12.2024 को श्री बंशीधर योगी उपखण्ड अधिकारी के द्वारा मेरे से एक कॉफी सेट व एक डिनर सेट की मांग की गई जिसके क्रम में आज दिनांक को उक्त 2 लाख रूपये कॉफी सेट में से निकालकर अपने दोनो हाथो से उठाकर अन्दर वाले कमरे में ले जाकर रखकर वापस आ गये। कॉफी सेट व डिनर सेट को अपने डाईनिंग रूम में रखे बेड पर रखवाये है। जिस पर आरोपी श्री बंशीधर योगी का दांहिना हाथ कलाई के उपर से उपस्थित जाप्ते में से हैडकानि. श्री राजेन्द्र सिंह 130 व बांया हाथ कलाई के उपर से कानि श्री रूपकिशोर 74 से पकडवाया जाकर आने के मतव्य से अवगत करवाया जाकर गवाहान व टीम का परिचय देकर नाम पता पूछा तो श्री बंशीधर योगी पुत्र स्वं. श्री नानगराम योगी जाति-योगी, उम्र 59 साल, निवासी- ग्राम पोस्ट- जोगीयो का मौहल्ला, कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर हाल प्लाट नम्बर 51, मंगलम् विहार गोकुलपुरा, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर हाल उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड खेतडी, जिला नीमकाथाना होना बताया। आरोपी श्री बंशीधर योगी उपखण्ड अधिकारी से परिवादी श्री अनिल अत्रि से अभी अभी प्राप्त किये गये रिश्वत के 2 लाख रूपये एवं गिफ्ट सेट कॉफी सेट व डिनर सेट के बारे में पूछा तो आरोपी ने रिश्वत राशि प्राप्त करने से मना कर दिया। जिस पर पास खडे परिवादी ने आरोपी की उक्त बात का खण्डन करते हुये बताया कि ये झूठ बोल रहे है इन्होने मेरे से अभी अभी रिश्वत के 2 लाख रूपये व एक कॉफी सेट व डिनर सेट प्राप्त कर अपने पास रखा है। इसके बाद आरोपी से परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पुनः पूछा तो श्री अनिल जी ने ही मुझे दिये है मैने नहीं मागे, इनका कोई काम मेरे पास पेण्डिग नहीं है। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आरेपी श्री बंशीधर योगी के दोनो हाथो को पकडे पकडे स्वतंत्र गवाहान को साथ ले कर अन्दर कमरे में गये। जहां पर लकडी के पलग के उपर एक पोलिथिननुमा कवर में पांच पांच सौ की गडियां लिपटे हुये दिखाई दी जिसको स्वतंत्र गवाह श्री वेदप्रकाश मीना से उठवाया गया व सुरक्षार्थ उसके पास ही रखवाया गया। इसके पश्चात ट्रेप बाक्स से एक साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी श्री बंशीधर योगी के दांहिने हाथ की अगुलियों व अंगुठे को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों मार्क क्रमषः आर-1 व आर-2 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार दूसरे साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल को

[redacted]



उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी श्री बंशीधर योगी के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों मार्क क्रमश एल-1 व एल-2 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात ट्रेप बाक्स से एक साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद जिस स्थान से रिश्वत राषि बरामद हुई थी उस पॉलिथीनुमा कवर व पलग को एक रूई के फोये से रगड कर उक्त फोये को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीषीयों मार्क क्रमश सीडब्ल्यू-1 व सीडब्ल्यू-2 अंकित कर उक्त दोनों शीषीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद रूई के फोये को सुखाकर माचिस की डिब्बी में रखकर, डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्का सी-1 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद जिस पॉलिथीनुमा कवर में रिष्वत राषि मिली थी जिसके एक सीर्डी मेलर में रखकर, मेलर को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्का सी-2 अंकित कर सील्ड मोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात आरोपी द्वारा परिवादी श्री अनिल अत्रि से बतौर रिश्वत गिफ्ट में प्राप्त किये गये काफी सेट को देखा गया तो एक चाय का कप सेट रंग ग्रीन फुल दार डिब्बा जिस पर अग्रेजी में CLAY CRAFT FINE TABLE WARE Cup Saucer Sat 66 PCS Premiun Fift Set लिखा हुआ है उपस्थित गवाहन व परिवादी से पहचान करवाई गई तो सभी ने वक्त पेशकशी रिश्वत व गिफ्ट राशि के समय किये गये अपने अपने लघु हस्ताक्षर की पहचान की गई। उक्त कॉफी सेट को कवर सहित एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर मार्का "टी" अंकित कर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली को सील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार एक खाना खाने का डिनर सेट रंग खाकी के कार्टुन में बंद जिस पर अंग्रेजी में ROXX Luxuria लिखा हुआ की उपस्थित गवाहन व परिवादी से पहचान करवाई गई तो सभी ने वक्त पेशकशी रिश्वत व गिफ्ट राशि के समय किये गये अपने अपने लघु हस्ताक्षर की पहचान की गई। उक्त डिनर सेट को कवर सहित एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर मार्का "एफ" अंकित कर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली को सील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी के निवास से बरामद रिश्वत राशि जिसे स्वतंत्र गवाह श्री वेदप्रकाश मीना के पास सुरक्षित रखवाया गया था, का मिलान फर्द पेशकशी नोट से किया गया तो फर्द पेशकशी में बनी नोटों की सूची के नम्बरी नोट हुबहु होना पाये गये। उक्त राशि को एक सफेद कागज में लपेटकर, सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन वार्ता होना पायी गई, जिसका वार्ता रूपांतरण आईन्दा तैयार किया जावेगा। परिवादी श्री अनिल अत्रि का कार्य उसकी जमीन की डिग्री से सम्बंधित पत्रावली वक्त रात्रि का होने के कारण कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी से प्राप्त नहीं की जा सकती कल दिनांक 11.12.2024 को कार्यालय समय पर प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जावेगी। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री बंशीधर योगी पुत्र स्वं. श्री नानगराम योगी जाति-योगी, उम्र 59 साल, निवासी- ग्राम पोस्ट- जोगीयो का मौहल्ला, कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर हाल प्लाट नम्बर 51, मंगलम् विहार गोकुलपुरा, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर हाल उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड खेतडी, जिला नीमकाथाना द्वारा परिवादी श्री अनिल अत्रि की गुणीनीचा स्थित जमीन की डिग्री की पालना करवाने की ऐवज में दिनांक 21.11.2024 को 5 लाख रूपये की मांग की गई। वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 25.11.2024 के समय परिवादी से 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत हुआ तथा 1 लाख रूपये नगद प्राप्त किये। इसके बाद दिनांक 03.12.2024 को एक कॉफी सेट व एक डिनर सेट की परिवादी से आरोपी द्वारा जरिये मोबाईल गिफ्ट के रूप में मांग की गई। उक्त रिश्वत मांग के क्रम आज दिनांक 10.12.2024 को परिवादी से आरोपी श्री बंशीधर योगी द्वारा 2 लाख रूपये व एक कॉफी सेट व एक डिनर सेट के रिश्वत के अपने हाथों से प्राप्त कर अपने सरकारी आवास में रखे। जहां से रिश्वत राशि व गिफ्ट बरामद होने पर आरोपी श्री बंशीधर योगी हाल उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड खेतडी, जिला नीमकाथाना का उक्त कृत्य अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनियम 2018 की धारा 7 व 11 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। नोट- उक्त ट्रेप कार्यवाही लम्बी चलने के कारण विडियों कैमरे की विडियों रिकॉर्डिंग सक्षमता कम होने से ट्रेप कार्यवाही के प्रारम्भ की व अन्त की विडियों रिकॉर्डिंग की गई है। उक्त विडियों फाईल की हैस वैल्यू का प्रिन्ट आउट निकाल कर शामिल पत्रावली की गई। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि श्री बंशीधर योगी पुत्र स्वं. श्री नानगराम योगी जाति-योगी, उम्र 59 साल, निवासी- ग्राम पोस्ट- जोगीयो का मौहल्ला, कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर हाल प्लाट नम्बर 51, मंगलम् विहार गोकुलपुरा, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर हाल उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड खेतडी, जिला नीमकाथाना से तेयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 10.15 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री बंशीधर योगी पुत्र स्वं. श्री नानगराम योगी जाति-योगी, उम्र 59 साल, निवासी- ग्राम पोस्ट- जोगीयो का मौहल्ला, कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर हाल प्लाट नम्बर 51, मंगलम् विहार गोकुलपुरा, कालवाड रोड,

झोटवाडा, जयपुर हाल उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड खेतडी, जिला नीमकाथाना को उसके जुर्म से आगाह कर उसके संवैधानिक अधिकारां से अवगत करवाया जाकर अपराध अन्तर्गत धारा 7 व 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संषोधित 2018 ) में हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर जामा तलाशी श्री रूपकिशोर कानि.नं. 74 से लिवाई गई तो तो आरोपी के पास 2 मोबाईल फोन मिले, जिसमें से एक मोबाईल आईफोन 13 का बरंग सफेद है जिसमें एक सिम एयरटेल कम्पनी की सिम है जिसके मोबाईल नम्बर [redacted]1 है, जिसके पेर्टन लॉक 210566 है एवं दूसरा मोबाईल वन प्लस कम्पनी का रंग ब्लेक है जिसमें दो सिम लगी हुई है एक सिम एयरटेल कम्पनी जिसके मोबाईल नम्बर [redacted] की लगी हुई है एवं दूसरी सिम जीओ कम्पनी की सिम है जिसके मोबाईल नम्बर [redacted] की लगी हुई है वन प्लस मोबाईल कम्पनी का पेटन लॉक 15987 है आरोपी श्री बंशीधर योगी की उक्त दोनों मोबाईल से परिवादी श्री अनिल अत्रि से आपस में वाट्सअप चेटिंग व वार्ता होनी पाई गई। उक्त दोनो मोबाईल को वास्ते अनुसंधान हेतु बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार आरोपी की पत्नि श्रीमति कमलेश योगी को उसके मोबाइल नम्बर [redacted] पर दी गयी। जिसकी फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 10.30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अनिल अत्रि की निशादेही से सरकारी क्वार्टर, एच.सी.एल. बी-1 खेतडी नगर, जिला नीमकाथाना में लगी पर्याप्त लाईट जलाकर घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्षा मौका पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 10.40 पी.एम. पर परिवादी श्री अनिल अत्रि व आरोपी श्री बंशीधर योगी, उप खण्ड अधिकारी, उप खण्ड, खेतडी जिला नीम का थाना के मध्य वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 25.11.2024 को हुई आमने सामने वार्ता तथा दिनांक 10.12.2024 को वक्त रिश्वत लेन देन परिवादी व आरोपी श्री बंशीधर के आमने सामने हुई वार्ता जिसको परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त वार्तायें मेमोरी कार्ड में दर्ज है। उक्त मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड में लगाकर लेपटोप में लगाकर उक्त वार्ताओ को दोनां स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री अनिल अत्रि की मौजूदगी में वार्ताओं की डी.वी.डी. बनवाने हेतु तीन खाली डी.वी.डी. मंगवायी जाकर तीनों डी.वी.डी. को खाली होना सुनिश्चित कर लैपटॉप की सहायता से फोल्डर में सेव रिकार्ड वार्ता को श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. नं. 130 से तीनों डी.वी.डी. में बर्न करवाया गया। तीनों डी.वी.डी. को बारी बारी से लैपटॉप में चलाकर सुना गया तो तीनों में उक्त वार्तायें रिकार्ड होनी पाई गई। इसके पश्चात तीनों डी.वी.डी. पर क्रमश मार्का "ए", "ए-1"व "ए-2" अंकित कर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मैमोरी कॉर्ड में दर्ज वार्ताओ को स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष लेपटॉप में बारी-बारी से चलाकर सुना जाकर पूर्व से तैयार वार्ता रूपांतरण से शब्द ब शब्द मिलान किया गया, तो मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता, वार्ता रूपांतरण के अनुसार होनी पाई गई। उक्त वार्ताओं में अपनी तथा श्री बंशीधर योगी की आवाज की पहचान परिवादी श्री अनिल अत्रि के द्वारा की गई, जिसका वार्ता रूपान्तरण तैयार किया गया तथा हेस वेल्यू निकाली गई। इसके पश्चात् डी.वी.डी. मार्का "ए"व डी.वी.डी. मार्का"ए-1" को दो पृथक पृथक डी.वी.डी. कवर मे रखकर, दो पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैलीयों में रख कर थैलीयों पर क्रमश मार्का "ए"ए "ए-1" अंकित किये जाकर थैलियों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। मार्का "ए-2" डी.वी.डी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मेमोरी कार्ड (16 GB Sandisk) जिसमें उक्त वार्तायें रिकार्ड है को एक खाली डिब्बी में रखकर, डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रख कर थैली पर मार्का "एम"अंकित किया जाकर थैली पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द रूपान्तरण तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री बंशीधर योगी पुत्र स्वं. श्री नानगराम योगी जाति-योगी, उम्र 59 साल, निवासी- ग्राम पोस्ट- जोगीयो का मौहल्ला, कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर हाल प्लाट नम्बर 51, मंगलम् विहार गोकुलपुरा, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर हाल उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड खेतडी, जिला नीमकाथाना द्वारा परिवादी श्री अनिल अत्रि की गुणीनीचा स्थित जमीन की डिग्री की पालना करवाने की ऐवज में दिनांक 21.11.2024 को 5 लाख रूपये की मांग की गई। वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 25.11.2024 के समय परिवादी से 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत हुआ तथा 1 लाख रूपये नगद प्राप्त किये। इसके बाद दिनांक 03.12.2024 को एक कॉफी सेट व एक डिनर सेट की परिवादी से आरोपी द्वारा जरिये मोबाईल गिफ्ट के रूप में मांग की गई। उक्त रिश्वत मांग के क्रम आज दिनांक 10.12.2024 को परिवादी से आरोपी श्री बंशीधर योगी द्वारा 2 लाख रूपये व एक कॉफी सेट व एक डिनर सेट के रिश्वत के अपने हाथों से प्राप्त कर अपने सरकारी आवास में रखे। जहां से रिश्वत राशि व गिफ्ट बरामद होने पर आरोपी श्री बंशीधर योगी हाल उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड खेतडी, जिला नीमकाथाना का उक्त कृत्य अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनियम 2018 की धारा 7 व 11 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री बंशीधर योगी पुत्र स्वं. श्री नानगराम योगी जाति-योगी, उम्र 59 साल, निवासी- ग्राम पोस्ट- जोगीयो का मौहल्ला, कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर हाल प्लाट नम्बर 51, मंगलम् विहार गोकुलपुरा, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर हाल उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड खेतडी, जिला नीमकाथाना के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 07 व 11 भ्रष्टाचार निवारण (संषोधन) अधिनियम 2018 में प्रमाणित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपी श्री बंशीधर

[redacted]



योगी उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला नीमका:ााना के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 07 व 11 भ्रष्टाचार निवारण (संषोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में पेश है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. द्वितीय, जयपुर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जय्पु: ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 व 11 भ्रष्टाचार निवारण अधी 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बंशीधर योगी पुत्र स्वं. श्री नानगराम योगी जाति-योगी, उम्र 59 साल, निवासी- ग्राम पोस्ट- जोगीयो का मौहल्ला, कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर हाल प्लाट नम्बर 51, मंगलम् विहार गोकुलपुरा, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर हाल उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड खेतडी, जिला नीमकाथाना के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री इस्माईल खान, अतिरक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनू को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 85 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1588-91 दिनांक 12-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,क्रम संख्या-2जयपुर। 2-शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** ISMAIL KHAN **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: [illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** GYAN SINGH CHOUDHARY

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 23/05/1966 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)